Mahindra FINANCE

रजिस्टर्ड ऑफिसः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई– 400 001.
कॉर्पोरेट ऑफिसः बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पिरामल अमिति बिल्डिंग, कामानी जंक्शन, कुर्ला वेस्ट मुंबई– 400 070.

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस (सरफेसी अधिनियम के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') के तहत बैंक को प्रभारित अचल परिसंपत्ति की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, गारंटर (ओं) और बंधककर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे उल्लिखित अचल संपत्तियां महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (''सुरक्षित लेनदार/एनबीएफसी'') को बंधक/प्रभारित (सामूहिक रूप से ''संपत्ति'' के रूप में संदर्भित), जिसका कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमों के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत लिया गया है, जैसा कि यहां विस्तृत है, बैंक की बकाया राशि और ब्याज की वसूली हेतु ''जैसा है जहां है'', ''जो कुछ भी है'' और ''बिना सहारा के आधार'' पर नीचे वर्णित तिथि को बेची जाएंगी, जैसा कि नीचे दिए गए ई–नीलामी अनुसूची के अनुसार बोलियां आमंत्रित करके नियमों के नियम 8 और 9 के तहत विस्तृत है:

पार्टियों, बकाया राशि और संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

उधारकर्ता एवं बंधककर्ता(ओं) का नाम	मांग राशि, मांग नोटिस तिथि और कब्जा नोटिस तिथि	संपत्ति निरीक्षण तिथि और समय	दस्तावेज(ओं) सहित बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि और समय	आरपी, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम, संपर्क संख्या और ईमेल आईडी
1. मैसर्स मार्वल डिस्पोजल हाउस देवास (उधारकर्ता) 2. श्री महेंद्र वर्मा (सह–उधारकर्ता 1) 3. श्रीमती पूजा वर्मा (सह–उधारकर्ता 2)	मांग राशिः रु. 25,83,218.42/– (रु. पच्चीस लाख तिरासी हजार दो सौ अठ्ठारह और ब्यालीस पैसे) 16 जुलाई 2025 तक मांग सूचना तिथिः 16.07.2025 कब्जा नोटिस दिनांकः 17.01.2026	22.06.2026 से 26.06.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे तक	06.07.2026	ई–नीलामी की तिथि 07.07.2026 ई–नीलामी का समय पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे तक	आरक्षित मूल्यः रु. 20,00,000/– (रु. बीस लाख मात्र) जमा बयाना राशिः रु. 2,00,000 (रु. दो लाख मात्र) बोली वृद्धिशील राशिः रु. 10,000/– (रु. दस हजार रुपये)	श्री आरिफ खान +91 9822548464 arif.khan@mahindrafinance.com श्री मनीष कुशवाहा +91 8602019804 manish.kushwah@mahindrafinance.com श्री वरद भरनुके +91 8097185044 varad.bharnuke@mahindrafinance.com

अचल सम्पत्ति का विवरणः आइटम नंबर 1– प्लॉट नंबर 48–ए के पूर्वी भाग का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 681.86 वर्ग फुट (63.37 वर्ग मीटर) सरल नंबर 632, वार्ड नंबर 42, चंद्रलोक नगर कॉलोनी, देवास, मध्य प्रदेश–455001 **इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:** पूर्व की ओरः– अमित कुर्रे का मकान, पश्चिम की ओरः– प्लॉट नंबर 48–ए का शेष हिस्सा, उत्तर की ओरः– कॉलोनी रोड, दक्षिण की ओरः– प्लॉट नंबर 61ए

विस्तृत नियमों और बिक्री की शर्तों के लिए, कृपया https://www.mahindrafinance.com/sme-loans/auction-notices पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें या अधिकृत अधिकारियों के साथ संपर्क करें और ई–नीलामी मार्गदर्शन के लिए संपर्क व्यक्ति श्री बालाजी मन्नूर, मो. सं. 7977701080, ई–मेल–आईडीः Mannur.govindarajan@c1india.com से सम्पर्क करें

तिथिः 17.06.2026, स्थानः देवास, मध्य प्रदेश **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

डीसीबी बैंक लिमिटेड

DCB BANK

देवाशीष कॉम्प्लेक्स, जोन 1, एमपी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462 011

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत डीसीबी बैंक लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ता (उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता) को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में वर्णित बकाया राशि और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4), उक्त नियमों 2002 के नियम 8 के साथ-साथ r/w धारा 14(1) के तहत पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त नीचे वर्णित दिनांक को ले लिया है।
उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति का विवरण) के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन डीसीबी बैंक लि., के प्रभार वास्ते निम्नांकित बकाया राशि के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

1.	**सांकेतिक कब्जे की तिथिः 12.06.2026**
मांग सूचना की तिथि	**23-12-2025**
उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री प्रेम वर्मा और श्रीमती मोनिका वर्मा
ऋण खाता नं.	**DBLAMHI00613494**
कुल बकाया राशि	**रु. 18,67,895/- (रु. अट्ठारह लाख सडसठ हजार आठ सौ पिच्चान्वे मात्र) दिनांक 19.12.2025 तक**
अचल संपत्ति का विवरण	संपत्ति का पूर्ण हिस्सा जोकि सर्वे नंबर 117/8–मिन–6 में से 0.008 हेक्टेयर और सर्वे नंबर 116/1/2–मिन–2 में से 0.004 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.012 हेक्टेयर या 1386 वर्ग फुट या 128.76 वर्ग फुट, गाँव ताजपुरा (P.H.N 74), तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित इसकी सीमाएँ: पूर्व – सड़क, पश्चिम – सुदर्शन बंथिया का प्लॉट, उत्तर – गिरधारीलाल उथरा का प्लॉट, दक्षिण – शुभम भाटेवारे का प्लॉट (सुरक्षित संपत्ति)

दिनांकः 17.06.2026
स्थानः उज्जैन
कृते डीसीबी बैंक लि.
प्राधिकृत अधिकारी

सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Sitaara

(पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092, दिल्ली – भारत

नियम -8(1) कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत **सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणग्रहीता/सह-ऋणग्रहीता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित राशि तथा उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के अन्दर अतिरिक्त ब्याज चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी करते हैं। ऋणग्रहीता/सह-ऋणग्रहीता/गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणग्रहीता/सह-ऋणग्रहीता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणग्रहीता और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित बकाया राशि और ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागतों के लिए **सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा। ऋणग्रहीता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या एवं उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर का नाम	दिनांक अनुसार बकाया राशि	दिनांक: मांग नोटिस दिनांक / प्रतीकात्मक कब्जा
1	**ऋण खाता संख्या: L1GP000005007481 1. श्रीमती रानी बाई धाकड़ पत्नी श्री बाबू लाल धाकड़ (ऋणग्रहीता), 2. श्री जितेंद्र सिंह धाकड़ पिता श्री बाबूलाल धाकड़ (सह-ऋणग्रहीता), 3. श्री जगदीश नगर पिता श्री कैलाश चंद्र नगर (ग्यारंटर)**	**₹9,81,346/- (रुपये नौ लाख इक्यासी हजार तीन सौ छियालिस मात्र) दिनांक 20.03.2026 तक**	**20.03.2026** / **12.06.2026 (प्रतीकात्मक)**

बंधक संपत्ति का विवरण:- वार्ड नं 07, पुराना नं 05, स्थित ग्राम भीलपुरा कसरवाद, तहसील कसरवाद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश – 451001, क्षेत्रफल 1295 वर्गफीट, चतुर्थ सीमाएं: पूर्व: रोड, पश्चिम: इंद्र सिंह का मकान, उत्तर: पिनकेश का मकान, दक्षिण: हरि सिंह का मकान।

स्थान : मध्य प्रदेश,
दिनांक : 16.06.2026
प्राधिकृत अधिकारी, सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.

IndiaShelter Home Loans

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

निगमित कार्यालय : प्लॉट नं.–15, 6ठीं मंजिल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया,सेक्टर 44 गुरुग्राम, हरियाणा–122003 टेलीफोन : 1800–532–4444
शाखा कार्यालयः मध्य प्रदेश

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(2) व 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में वर्तमान अनुसार इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन लि. के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की तिथि के 60 दिनों राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी और संपत्ति/जमानती के मालिक को बुलाने के लिए यहां के बाद वर्णित अनुसार खाते के लिए वर्णित तिथि पर मांग सूचना जारी की थी। चूंकि संपत्ति के स्वामी और अन्य राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा वर्णित ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के लिए वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति/यों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति/यों के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति/यों के साथ किया गया कोई भी लेन–देन उसपर ब्याज, लागत आदि और नीचे वर्णित अनुसार राशि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. के प्रभार का विषय होगा।

ऋणी/गारंटर का नाम (संपत्ति के स्वामी) ऋण खाता संख्या	प्रभारित/गिरवी संपत्ति का विवरण (शामिल संपत्ति के सभी भाग व पार्सल)	मांग सूचना तिथि, मांग सूचना की तिथि तक देय राशि	कब्जे की तिथि
श्री/श्रीमती सोनम विश्वकर्मा और श्री/श्रीमती रोहित विश्वकर्मा, ग्राम दोहर पोस्ट जोनिया ग्वालियर, 475675 मध्य प्रदेश ऋण खाता सं. HL47CHLONS0O00O5042027I (ग्वालियर)	संपत्ति बियरिंग सर्वे नं. 233 के सभी भाग व शेष गांव इंद्रगढ़, वार्ड नं. 6, बराली मोयूआ रामनगर आर.एनआई.एम. इंद्रगढ़, तहसील इंद्रगढ़ और जिला दतिया (म.प्र.) में स्थित क्षेत्र माप 800 वर्ग फुट या 74.34 वर्ग मीटर सीमा : पूर्व : वीरेंद्र की भूमि, पश्चिम : सड़क, उत्तर : वीरेंद्र की भूमि, दक्षिण : साहू की भूमि	10.10.2025 रु. 8,43,617.85/– (रुपए आठ लाख तिरालीस हजार छह सौ सत्तरह व पिचासी पैसे केवल) 10.10.2025 तक पूर्ण में भुगतान तक सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के सहित 11.10.2025 से भावी लागू ब्याज के साथ	**12-06-2026**

किसी भी पूछताछ के लिए, कृपया संपर्क करें – श्री संजय राठौड़ (+91 9993460061) श्री सुशील कुमार वैश्य (+91 8357941995)
स्थान : मध्य प्रदेश दिनांकः 17.06.2026 **इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. के लिए (प्राधिकृत अधिकारी)**

आदित्य बिड़ला कैपीटल लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात–362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः आर–टेक पार्क, 12वीं मंजिल, निर्लोन कॉम्पलैक्स, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, गोरेगाँव ईस्ट–मुंबई–400063

कब्जा सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण–अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज समामेलन की योजना दिनांकित 11.03.2024 द्वारा आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपीटल लिमिटेड के बीच समामेलन के कारण, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे अनुसूची ए में उल्लिखित गिरवी संपत्ति के संबंध में शुरू की गईं सभी सरफासी कार्रवाई आदित्य बिड़ला कैपीटल लि., समामेलित कंपनी को हस्तांतरित की जाती हैं।
तदनुसार, अधोहस्ताक्षरी को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत **मांग नोटिस दिनांकित अधोवर्णित** जारी किया था जिसमें कर्जदारों **(नाम और पते नीचे वर्णित हैं)** से उक्त नोटिस में उल्लिखिा राशि और इस पर ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा।
अधोल्लिखित कर्जदारों के राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा अधोल्लिखित कर्जदारों और आम जनता को नोटिस दिया गया है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से नीचे उल्लिखित कर्जदारों और सामान्य रूप से सर्व साधारण को सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति से कोई लेन–देन न करें और संपत्ति से कोई भी लेन–देन अधोल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **आदित्य बिड़ला कैपीटल लिमिटेड (एबीसीएल)** के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार(ओं) के नाम	मांग नोटिस की तारीख और बकाया राशि	अचल संपत्ति (बंधक संपत्तियों) का विवरण	कब्जे की तारीख
1.	1. श्री सुनील सितोले पुत्र विक्रम सितोले 2. श्रीमती सुनीता सितोले पुत्री दिनेश दिनेश 3. सितोले किराना स्टोर अपने मालिक श्री सुनील सितोले के माध्यम से ऋण संख्या ABW_KSTS000000883559	20-03-2026 और रु. 22,16,324.85/- दिनांक 20-03-2026	ग्राम दोहद पी.एच. नं. 66, दीमंद पंजी नंबर 20, ग्राम पंचायत, दोहद, तहसील, पुनासा, जिला खंडवा एरिया माप पूर्व–पश्चिम 34 फीट, उत्तर दक्षिण 180 फीट, कुल क्षेत्रफल 6120 वर्ग फुट क्र. 5 मद– सीमाएँः– पूर्वः नरेंद्र का प्लॉट, पश्चिमः राजकुंवर बाई का मकान, उत्तरः कॉमन रोड, दक्षिणः स्वयं खुला प्लाट। मूल पंजीकृत सह स्वामित्व विलेख सं. MP 21926202023A11791706 दिनांकित–02–05–2023 के अनुसार	12.06.2026 (सांकेतिक)

दिनांकः 12.06.2026 स्थानः खंडवा हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपीटल लिमिटेड)

ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : नंबर 9, एम.पी. नगर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर–641607
कार्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वायर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई महाराष्ट्र–400028, टेलीफोन : +91 2269231111/92210 28203

[परिशिष्ट – 4–क] [नियम 8(6) एवं 9(1) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
ई–नीलामी की तिथि : 10 जुलाई, 2026

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदारों/बंधकदाता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है वहां है" के आधार पर **10 जुलाई, 2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक** (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय **09 जुलाई, 2026 को अप. 4.00 बजे तक है)** बेची जाएगी।
ओंकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारा पीएस 22/2020–21 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए (ओएआरपीएल) फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) से 26 फरवरी, 2021 के समनुदेशन अनुबंध के माध्यम से अधोलिखित प्रतिभूति सहित उल्लेखित कर्जदार/सह–कर्जदारों/बंधकदाता की तरफ पूरी बकाया ऋणराशि का अधिग्रहण किया है। तदनुसार, ओएआरपीएल ने मूल प्रतिभूत लेनदार एफआईसीसीएल का स्थान ले लिया है और बकाया राशि वसूलने और प्रतिभूतियों को लागू करने का हकदार बन गया है। इसके अतिरिक्त, ओएआरपीएल ने समनुदेशन अनुबंध दिनांकित 19 मार्च 2025 के माध्यम से उक्त खाता कानूनी कार्रवाई आरंभ करने/जारी रखने हेतु ओंकारा पीएस 21/2024–25 हस्तांतरित कर दिया है।
कर्जदार/सह–कर्जदारों/बंधकदाता का विवरण और नीचे वर्णित कर्जदार/सह–कर्जदारों/बंधकदाता द्वारा ओएआरपीएल को देय ब्याज और खर्चों सहित, बकाया राशि और अचल संपत्ति का विवरण, सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि (ईएमडी) और ज्ञात ऋणभार (यदि कोई) निम्नानुसार हैं :–

ऋण खाते का विवरण	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
1. **श्री सुभाष सोनी** (कर्जदार/बंधकदाता) 2. **श्रीमती अनुराधा सोनी** (सह–कर्जदार/बंधकदाता)	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : यूनिट नंबर 32, पोर्शन नंबर यू.जी. 32, ऊपरी भू तल, श्री बालाजी टॉवर, प्लॉट नंबर 214–215–216 (पुराना 164, 165 और 166), खजूरी बाजार, एम.जी रोड, इंदौर–452001, सीमाएं: पूर्वः पोर्शन नंबर यू.जी. 31 पश्चिमः पोर्शन नंबर यू.जी. 33 उत्तरः पोर्शन नंबर यू. जी. 36 दक्षिणः कॉरिडोर निर्मित क्षेत्र यानि 232 वर्ग फीट	रु. 27,84,000/– (सत्ताईस लाख चौरासी हजार रुपये मात्र)	रु. 2,78,400/– (दो लाख अठहत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र)	रु. 25,000/– (केवल पच्चीस हजार रुपये)
बकाया राशि	रू. 67,79,469/– + भुगतान तथा पूर्ण बकाया की वसूली की तिथि तक का भावी ब्याज और खर्च (03 जून, 2022 की मांग सूचना के अनुसार)			
कब्जा की स्थिति	प्रत्याभूत आस्तियों का भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी (ओएआरपीएल) ने 19 जुलाई 2024 को ले लिया है।			
निरीक्षण की तिथि	07 जुलाई, 2026 – अप. 02.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक			
प्रतिभागिता हेतु बोली दस्तावेज जमा करने हेतु अंतिम तिथि और समय	09 जुलाई, 2026 को शाम 4 बजे तक ओएआरपीएल के शाखा कार्यालय में, जो कार्यालय संख्या 206–207, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंबा रोड के पास, नई दिल्ली–110001 में स्थित है, या ईमेल आईडीः – **nitin.kashyap@omkaraarc.com/surender.singh@omkaraarc.com** पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आप प्राधिकृत अधिकारी से उनके कॉन्टैक्ट नंबर 8447636680/8947960010 पर संपर्क कर सकते हैं।			
कोई ऋणभार	**ज्ञात नहीं**			
कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	सभी बिडर्स को सलाह दी जाती है कि वे ई–नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए **www.omkaraarc.com/http://omkaraarc.com@auction.php** या **www.bankeauctions.com** पर जाएं। बिड करने वाले इच्छुक लोगों को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 29क के तहत नियमों का पालन करना होगा और घोषणापत्र देना होगा।			

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में कानूनी नोटिस

यह नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) और 9(1) तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत, उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार(रों) के लिए न्यूनतम 15 (पंद्रह) दिन का एक अनिवार्य नोटिस भी है, जिसमें उन्हें उपरोक्त तिथि और समय पर ई–नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है और यह सलाह दी जाती है कि यदि वे चाहें तो बिक्री समाप्त होने से पहले किसी भी समय, ऊपर उल्लिखित बकाया राशि, ब्याज और सभी लागतों व खर्चों का भुगतान करके आस्तियां छुड़ा सकते हैं। भुगतान में चूक की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता के विवेक पर, सम्पत्ति प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्धारित अनुसार ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी।

दिनांक : 12 जून, 2026
स्थान : इंदौर
प्राधिकृत अधिकारी, ओंकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओंकारा पीएस 21/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

equitas Small Finance Bank

(पूर्व का इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड)
कॉर्पोरेट कार्यालय : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई -600 002

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के तहत-अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने **इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित संबंधित कर्जदारों से उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत संबंधित सूचना में वर्णित राशि का 60 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करने हेतु मांग माँग सूचना निर्गत की। संबंधित कर्जदार उक्त राशि चुकाने का भुगतान करने में विफल रहे हैं, जनसामान्य को तथा एतद्द्वारा कर्जदारों, जमानतियों को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों पर **कब्जा** कर लिया है। एतद्द्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से संबंधित कर्जदारों को उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा इन संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन भावी ब्याज तथा उस पर अन्य प्रभारों हेतु **मैसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक** के प्रभार के अधीन होगा। ''प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।''

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) का नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि
1	शाखाः गुना SEIBGNA0431847 कर्जदारः श्री/श्रीमती पप्पू रघुवंशी सह-कर्जदारः श्री/श्रीमती कृष्णा बाई रघुवंशी	वह पूरी सम्पत्ति जिसमें एक प्लॉट शामिल है, जो पी.एच. नं.13 (नया 17), सर्वे नंबर 1345/2 (एस), ग्राम शाडोरा, ग्राम पंचायत शाडोरा, तहसील शाडोरा, जिला अशोक नगर (म.प्र.) में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है। उत्तर में: विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण में: विक्रेता का प्लॉट, पूर्व में: 10 फीट चौड़ी आम सड़क, पूर्व में: चंदन सिंह का घर।	25.03.2026 702422/-	11.06.2026
2	शाखाः अधारताल SEADRTL0423314 कर्जदारः श्री/श्रीमती बद्दी बाई सह-कर्जदारः श्री/श्रीमती दिनेश साहू	वह पूरी जमीन और इमारत, जो खसरा नंबर 75 का हिस्सा है और जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है। यह मौजा-तिमरी, हल्का नंबर 42, सेटलमेंट नंबर 174, तहसील-पाटन और जिला-जबलपुर (ट.ढ.) में स्थित है। उत्तर में: विक्रेता की जमीन, दक्षिण में: विक्रेता की जमीन, पूर्व में: सड़क, पूर्व में: रजनी बाई की जमीन।	25.03.2026 331000/-	11.06.2026
3	शाखाः बिलासपुर 700010840980 कर्जदारः श्री/श्रीमती राजकमल साहू; सह-कर्जदारः श्री/श्रीमती अनुसूया बाई साहू	वह पूरी जमीन जो खसरा नंबर 601/3 (म्यूटेशन के बाद खसरा नंबर 601/9) का हिस्सा है और जिसका क्षेत्रफल 729 वर्ग फुट है। यह गाँव रहंगी, पी.एच. नं. 0010, आरएनएम-बिल्हा, तहसील-बोदरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में स्थित है। मापः 729 वर्ग फुट, रजिस्ट्रेशन जिलाः बिलासपुर, रजिस्ट्रेशन कार्यालयः बिलासपुर, क्षेत्रफल (वर्ग फुट): 729, उत्तर में: विक्रेता की बची हुई जमीन, दक्षिण में: उमाशंकर और अन्य की जमीन, पूर्व में: जहांगीर की जमीन, पूर्व में: सड़क।	25.03.2026 319981/-	11.06.2026
4	शाखाः छिंदवाड़ा 700009143852/200002493690 कर्जदारः अन्नू बाई कोल्हे सह-कर्जदारः ललिता कोल्हे; दशरथ कोल्हे	वह पूरी जमीन/प्लॉट/आवासीय घर, जो सर्वे (खसरा) नंबर 1763/25, पी.एच. नं. 22, बी. नं. 177 का हिस्सा, तहसील और ज़िला छिंदवाड़ा (म.प्र.), उत्तर में कच्चा मंदिर रोड, दक्षिण में विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व में आत्माराम चौरे का घर, पश्चिम में गंगाधर ठाकरे का घर	02.01.2026 893635/-	11.06.2026

तिथि : 17.06.2026, स्थान : मध्य प्रदेश **अधिकृत प्राधिकारी, इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड

Truhome FINANCE

(पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टॉवर, प्रथम तल, द्वार नं. 5, पुराना नं. 11, द्वितीय लेन, सेनाटोफ रोड, अलवरपेट, तेयनाम्पेट, चेन्नई-600018
मुख्य कार्यालय : लेवल 3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051, वेबसाइट : www.truhomefinance.in

माँग सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने **ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और उक्त ऋण खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर मांग सूचना जारी की गयी थी। उक्त मांग सूचना के अलावा, उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है।
कर्जदारों, प्रतिभूतियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना और उसके अंतर्गत दावाकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) का नाम तथा पता	प्रतिभूत आस्तियों का सम्पत्ति पता	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि रु. में
(1) श्री विकास जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन (2) श्री आकाश जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन (3) श्री भावेश जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन (4) श्री कमलेश कुमार जैन पुत्र श्री छोटे लाल जैन घोसी बाड़ा, चितेरा ओली, माधो गंज, प्रताप फ्लोर मिल, लश्कर, पीओ-लश्कर, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)-474001 इसके अलावा- (5). श्री भावेश जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड - दूसरी मंजिल नारायण कृष्णा बिल्डिंग, सिटी सेंटर, सालासर मॉल के पास, ग्वालियर, म.प्र. -474001 **लैन नंबर - SHLHGWLR0000128** **ऋण राशि - रु. 72,65,571/-** **एनपीए दिनांकः- 03-06-2026**	अचल संपत्ति का विवरण इस प्रकार है - कमल सिंह का बाग, नगर लश्कर, तहसील और जिला ग्वालियर में स्थित मकान; निगम वार्ड और मकान नंबर 34/1151, वार्ड नंबर 34 और सम्पत्ति आईडी नंबर 1000104362; क्षेत्रफल 1828 वर्ग फुट यानी 169.88 वर्ग मीटर। सीमाएँ इस प्रकार हैं - पूर्व - 20 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम - 8 फुट चौड़ी गली, उत्तर - विजय कुशवाहा, राजू कुशवाहा और रमेश कुशवाहा का घर, दक्षिण - संतोष गर्ग का घर।	**मांग सूचना की तिथि- 12/06/2026 मांग सूचना की राशि रु. 80,37,089/- (रुपये अस्सी लाख सैंतीस हजार नवासी मात्र), दिनांक 09/06/2026 तक, ऋण खाता संख्या SHLHGWLR0000128 के तहत, साथ ही यहां उल्लिखित भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत आदि।**

इसलिए आप कर्जदारों से अनुरोध है कि आप इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर बताए गए बकाया राशि का पूरा भुगतान करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए सरफैसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से निषिद्ध किया जाता है।

स्थानः ग्वालियर
दिनांकः 17.06.2026
ह./ अधिकृत प्राधिकारी- ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

कब्जा सूचना

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. एआरसीआईएल-2026-006-ट्रस्ट (एआरसीआईएल) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें सूचना में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता(ओ) उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जो एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को ''जहां है और जो कुछ भी है, के आधार पर''नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	बकाया राशि और मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि
उधारकर्ता : अल्ताफ पुत्र रशीद उद्दीन सह-उधारकर्ता : सैफुन्निशा बी पत्नी अल्ताफ खा गारंटर : हेरूलाल पुत्र पुना जी (लोन नं.: SMBASPLONS000006007176)	रु. 331753.31/- (रुपये तीन लाख इकतीस हजार सात सौ तिरपन पैसे इकतीस मात्र) 24 नवम्बर 2025 तक, 25 नवम्बर 2025 से भुगतान/वसूली तक सुविधाओं पर आगे ब्याज के साथ मांग नोटिस दिनांकः 25 नवम्बर 2025	आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग प्लॉट/मकान नं. 109, पटवारी हल्का नं. 88, सर्वे नं.187/1/1, गाँव लिखोडा, ग्राम पंचायत रुंडवासुरा, तहसील बड़नगर, व जिला उज्जैन, म.प्र. क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट - अल्ताफ से संबंधित, सीमाएँ :- उत्तरः आम रोड, दक्षिणः रईस खान की भूमि, पूर्व : मंजूर खान का मकान, पश्चिमः इनायत उद्दीन का प्लॉट	12.06. 2026
उधारकर्ता : लाखन चौहान पुत्र मांगीलाल चौहान सह-उधारकर्ता : अजोध्या बाई पत्नी मांगीलाल गारंटर : गणेश जी पुत्र जगन्नाथ (लोन नं.: SMBNSMLONS000005623153)	रु. 283901.63/- (रुपये दो लाख तिरासी हजार नौ सौ एक पैसे तिरसठ मात्र) 06 दिसम्बर 2025 तक, 08 दिसम्बर 2025 से भुगतान/वसूली तक सुविधाओं पर आगे ब्याज के साथ मांग नोटिस दिनांकः 16 दिसम्बर 2025	आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग पटवारी हल्का नं. 16, सर्वे नं. 406, ग्राम मिंडका, तहसील बदनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) क्षेत्रफल 1200 वर्ग फिट - अजोध्या बाई से संबंधित, सीमाएँ :- उत्तरः सड़क, दक्षिणः राम सिंह का मकान, पूर्वः सड़क, पश्चिमः हरि राम जी	12.06. 2026
उधारकर्ता : ओम प्रकाश जी पुत्र बाबू लाल सह-उधारकर्ता : बाबूलाल जी पुत्र रणछोड़, रीना जी पत्नी ओम प्रकाश, उमराव बाई पत्नी बाबू लाल गारंटर : दिलीप जी पुत्र जतन लाल (लोन नं.: SMDHSBLONS000005673868)	रु. 396095.53/- (रुपये तीन लाख छियानवे हजार पचानवे पैसे तिरपन मात्र) 24 नवम्बर 2025 तक, 25 नवम्बर 2025 से भुगतान/वसूली तक सुविधाओं पर आगे ब्याज के साथ मांग नोटिस दिनांकः 25 नवम्बर 2025	आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग प्लॉट/मकान - सर्वे नं. 172, गाँव बडगारा, तहसील बदनगर व जिला उज्जैन, म.प्र. क्षेत्रफल 720 वर्ग फीट - बाबूलाल से संबंधित सीमाएँः- उत्तरः रमेश का खाली प्लॉट, दक्षिणः गोपाल, पूर्व : हरि राम, पश्चिमः आम रोड	12.06. 2026

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि एआरसीआईएल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या किसी भी व्यक्ति को, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, एआरसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना/हस्तांतरित करना और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ एआरसीआईएल के प्रभार के अधीन होगा। उपर्युक्त अचल संपत्ति के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
स्थानः मध्य प्रदेश एआरसीआईएल-2026 - 006 - ट्रस्ट (एआरसीआईएल) के ट्रस्टी

Arcil Premier ARC
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN NO :- U65999MH2002PLC134884 वेबसाइटः www.arcil.co.in;
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400028. फोन : +91 2266581300

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — *every day* with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

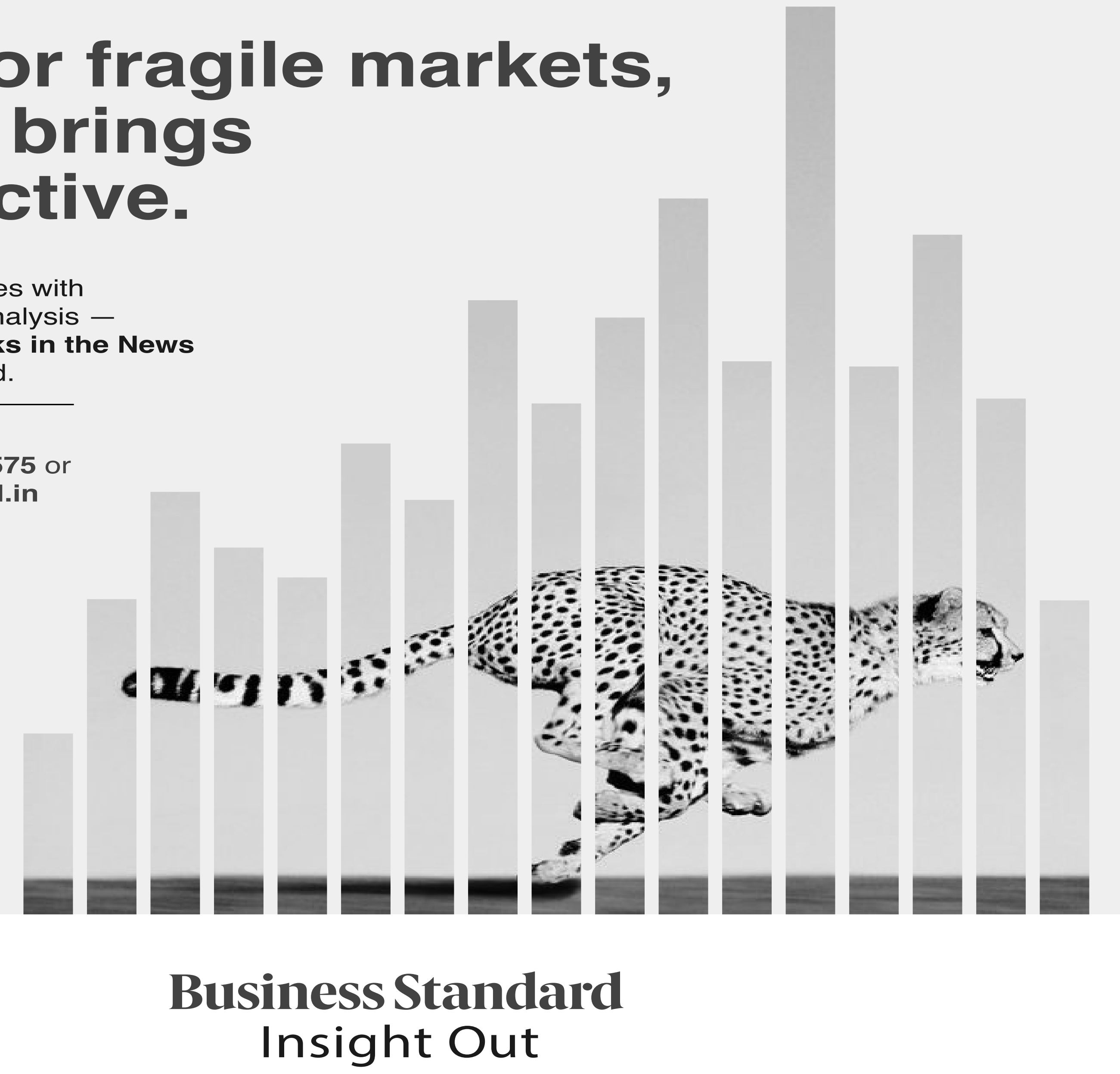

Business Standard
Insight Out